

2018/00164

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आप के द्वार 20

अज अदालत.....उप जिला कलक्टर मुकाम

रायसिंहनगर

शम किशन का 1/LE बनाम

किस्म मुकदमा

दुरुस्ती

मुकदमा नं

७२००
३५
३१/१४

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम ज इस हुक्म व तामील में जारी हु
३१/१४	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/१४/६० दिनांक ३१/१४ के द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आप के द्वार 2016" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ५.व.व. में प्रार्थीगण के नाम चक ५.व.व. की जमाबन्दी सम्वत् २०१२-१५ के खाता नं. ६० में खातेदार शम किशन ५८ बु.व.व. रा.प. के अंकित है। जिसका नाम शम किशन है। जिसकी शम किशन ५८ बु.व.व. रा.प. के खातेदार शम किशन की दुरुस्ती की जाने की अभिशाषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक ३१/१४ की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक ५.व.व. के खाता नं. ६० में दर्ज खातेदार शम किशन ५८ बु.व.व. रा.प. की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

(७)

राजस्व लोक अदालत
न्याय आप के द्वार-2016
कैम्प कोर्ट
सम्प्रदाधिकारी (रायसिंहनगर)